फर्द अहकाम

सुशीला बनाम कजोड़ व अन्य

नाम न्यायालय — वाद

केस संख्या 15/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/3/25	प. वादी उपस्थित अधिवक्ता प्रतिवादीगण को बार बार आवाज दिलाई जाने के बावजूद असालतन व वकालतन अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई और बहस अधिवक्ता वादी तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई व अतः वादी का तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पृथक से लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली किया गया। पत्रावली परिणाम अनुसार होकर रूप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।
		(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

य सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक) / ...
पीठासीन अधिकारी :- ...
नं0:- 15 / 2022
सुशीला देवी पत्नी पप्पूराम, जा...
तहसील चौमूं जिला जयपु...
1. कजोड़ पुत्र ला...
2. दूला पुत्र ल...
3. नागूराम ...
4. मगा...
5. ...

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–15/2022

उनवान

सुशीला देवी पत्नी पप्पूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा तन खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

–वादीया–

बनाम

1. कजोड पुत्र लादू
2. दूला पुत्र लादू
3. नागूराम पुत्र रुडा
4. भगवाना पुत्र रुडा
5. महेश पुत्र कानाराम
6. मालीराम पुत्र रुडा
7. रामू पुत्र रुडा
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम उंटगढा तन खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक चौमूं, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित नाम भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक चौमूं।
12. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा खेजरोली।
13. पीएनबी बैंक खेजरोली जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा खेजरोली।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबततकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–24.03.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ,जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं [illegible]वित भूमि हाल खाता संख्या 123 के आराजी खसरा नम्बर 1777 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.55 है0, 31 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.97 है0, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 58/8630 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 4.96 है0 भूमि वाके ग्राम उंटगढा तन खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. सुशीला पत्नि पप्पूराम हिस्सा सम्पूर्ण राहिन हिस्सा सम्पूर्ण ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार जाति जाट को आराजी खसरा नम्बर 45/1 रकबा 0.9433, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 58/8630 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.6533 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कजोड पुत्र लादू हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार, दूला पुत्र लादू हिस्सा 1/6 राहिन हिस्सा 1/6 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा चौमूं सा0देह खातेदार, नागूराम पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 राहिन हिस्सा 1/8 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार, भगवाना पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 राहिन हिस्सा 1/8 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली सा0 देह खातेदार, महेश पुत्र कानाराम हिस्सा 1/6 सा0देह खातेदार, रामू पुत्र रुडा हिस्सा 1/8 राहिन हिस्सा 1/8 स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा खेजरोली सा0देह खातेदार समस्त जाति जाट को आराजी खसरा नम्बर 1777 रकबा 0.52 है0, खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 1783 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.0267 है0 कुल किता 7 का कुल रकबा 3.3067 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0 (मुख्यालय)चौमूं